राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2021/798 दिनांक : 22/11/21

कार्यालय आदेश

वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/90 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की वर्ष 2021–22 की शेष अवधि दिनांक 01.10.2021 से 07.11.2021 तक पूर्व की भांति विकसित भूमि दरों को स्थिर कर दिया गया एवं दिनांक 08.11.2021 से 30.06.2022 तक के लिए 11 आवासीय योजनाओं को छोडते हुए विकसित भूमि दरे स्थिर कर दी गई है।

उक्त जारी आदेश के द्वारा वर्ष 2021–22 की शेष अवधि दिनांक 08.11.2021 से 30.06.2022 तक के लिए मण्डल की 11 आवासीय योजनाऐं क्रमशः प्रताप नगर आवासीय योजना, सांगानेर, जयपुर/मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर/किशनगढ विस्तार, फेज–चतुर्थ/शिवसिंहपुरा आवासीय योजना सीकर/नवी आवासीय योजना, झुंझुनू/चुरू आवासीय योजना/इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर/खान भांकरी रोड, दौसा/कोटपुतली आवासीय योजना/एस.टी.सी. भरतपुर आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दरों को संशोधित किया गया एवं शिवबाड़ी योजना, बीकानेर (शिवबाडी आवासीय योजना, बीकानेर की विकसित भूमि दर प्रथम बार वर्ष 2021–22 के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/90 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निर्धारित की गयी है।

उक्त आदेश के आधार पर मण्डल की समस्त योजनाओं में अधिशेष आवासों/फ्लैटों/निर्मित दुकानों का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करते हुए दिनांक 01.10.2021 से 07.11.2021 तक दरें स्थिर की जाती है एवं मण्डल की उल्लेखित 11 योजनाओं के अतिरिक्त शेष समस्त आवासीय योजनाओं में ई–ऑक्शन/बुधवार नीलामी उत्सव के पश्चात् शेष बचे आवास/फ्लैटों जिनको ई–बिड सबमिशन में सम्मिलित किया गया है, उन सभी अधिशेष आवासों/फ्लैटों/निर्मित दुकानों जिनकी लागत वैधता दिनांक 30.09.2021 तक निर्धारित की गयी थी, उनकी वर्ष 2021–22 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड–19 की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए सभी अधिशेष आवासो/फ्लैटों/निर्मित

दुकानों की लागत वैधता आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याक्षा में दिनांक 30.06.2022 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक(विधि)/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त–...................., रा0 आ0म0, ... (समस्त) ।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–.................., रा0 आ0म0 ....(समस्त)।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

12|pc.2/data.2021/order